न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

(पीठासी अधिकारी – शक्तिसिंह भाटी, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 126 / 2015
दायर दिनांक – 03 / 08 / 2015
निर्णय दिनांक – 14 / 05 / 2018

अनवान

1. ओकरलाल पिता मगनीराम सुखववाल (ब्राहम्ण) निवासी बामनिया कला, तह0 रेलमगरा

वादी

बनाम

1. कैलाशचन्द्र पिता भंवर लाल सुखववाल (ब्राहम्ण) निवासी 32 बी एकलिंग कॉलोनी, हिरण मगनी सेक्टर नम्बर 3 उदयपुर
2. जोगेश्वर प्रसाद पिता स्वर्गीय भंवरलाल सुखववाल (ब्राहम्ण) निवासी 16 विवेक पार्क के पीछे हिरण मगरी सेक्टर नम्बर 3 उदयपुर
3. श्याम नारायण पिता स्व. भंवरलाल सुखववाल पाड्या (ब्राहम्ण) निवासी मकान नम्बर 18 जगन्नाथ मन्दिर के पीछे चांदपोल, उदयपुर
4. दुर्गा बाई पुत्री भंवरलाल पत्नि भंवरलाल चांदनिया जोशी निवासी ए302, रघु 4 हीना वाला अपार्टमेंट सरदारपुरा उदयपुर
5. शोभाग कंवर पुत्री भंवरलाल पत्नि रामनारायण जोशी, निवासी 24 सीताफल की गली, ईलजी का नीम, गणेश घाटी उदयपुर
6. सूर्यकान्ता पुत्री भंवरलाल पत्नि रामचन्द्र सुखववाल (ब्राहम्ण) निवासी 41 एकलिंग कॉलोनी, हिरण मगनी सेक्टर नम्बर 3 उदयपुर
7. कमला पुत्री भंवरलाल सुखववाल (ब्राहम्ण), द्वारा श्री रामचरण श्रुंगी गुरू दयाल कॉलोनी, गोयल किराणा के पास बूंदी
8. शान्ता देवी पुत्री भंवरलाल पत्नि कन्हैयालाल सुखववाल (ब्राहम्ण), सेवानिवत् पटवारी साहब निवासी सहाडा वाया गंगापुर जिला भीलवाड़ा
9. मधुसुदर पिता स्व. मनोहरलाल पाण्ड्या पेंशनर अभियनता पीडब्ल्यू डी चेतक सर्कल के पास मधुवन, मकान नम्बर 19 बी, रेजिडेन्सी रोड उदयपुर
10. रिपुदमन पिता स्व. मनोहरलाल पण्ड्या (अभियन्ता पीडब्ल्युडी), निवासी चेतक सर्कल के पास मधुवन, मकान नम्बर 18 सी, रजिडेन्सी रोड उदयपुर जिला **(फौत)**

10/1. रितेश पिता रिपुदमन पण्ड्या (अभियन्ता पीडब्ल्युडी), निवासी चेतक सर्कल के पास मधुवन, मकान नम्बर 18 सी, रजिडेन्सी रोड उदयपुर

10/2. सुमन पत्नि स्व. रिपुदमन पाण्ड्या (अभियन्ता पीडब्ल्युडी), निवासी चेतक सर्कल के पास मधुवन, मकान नम्बर 18 सी, रजिडेन्सी रोड उदयपुर

10/3. स्मिता पिता स्व. रिपुदमन पण्ड्या (अभियन्ता पीडब्ल्युडी), निवासी चेतक सर्कल के पास मधुवन, मकान नम्बर 18 सी, रजिडेन्सी रोड उदयपुर

शक्ति

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

11. ममता उर्फ गणेश बाई पत्नि स्व. मनोहरला पाण्ड्या पेंशनर अभियनता पीडब्ल्यू डी चेतक सर्कल के पास मधुवन, मकान नम्बर 18 बी, रेजिडेन्सी रोड उदयपुर
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय, रेलमगरा जिला राजसमन्द

प्रतिवादीगण

वाद बाबत् स्वत्व घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं निषेधाज्ञा

: : निर्णय : :

वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं निषेधाज्ञा के प्रस्तुत किया कि राजस्व ग्राम बामनिया कला के साबिक आराजी नम्बर 1866 रकबा 0–09 नो बिस्वा वादी के पिताजी श्री मगनीराम पिता लालुजी सुखवाल ने आसाढ सुदी 11 सम्वत् 2001 को क्रय किया। जो महाराणा श्री एकलिंग जी उदयपुर के चार आना के स्टाम्प से दिनांक 11/06/1944 तदनुसाद आसाढ सुदी 11सम्वत् 2001 को क्रय किया। एवं दिनांक 16/03/1959 को अन्तकाल सं. 328 भरा गया जो दिनांक 05/6/1959 को स्वीकृत किया गया। प्रमाण में नामान्तरकरण पेश है। उक्त साबिक आराजी नम्बर 1866 का अमल दरामद होकर सम्वत् 2020–2023 के खाते में वादी के पिता मगनीराम जी के नाम से दर्ज हुआ जो सम्वत् 2024 से 2027 तक रहा। प्रमाण में जमाबंदी की नकल पेश है। वक्त पेमाईश सेटलमेंट वालो की गलती से भुल अथवा सहवन से उक्त आराजी का 0–04 चार बिस्वा भूमि भंवरलाल मनोहरलाल पिता हीरालाल के नाम दर्ज हो गई। साबिक आराजी नम्बर 1866 के दो भाग हो गयै और नये नम्बर 1684 एवं 1687 बने। साबिक आराजी नम्बर 1866 के नये नम्बर बने उसमें से कुछ भाग नदी में चला गयां नये नम्बर आराजी नम्बर 1684 रकबा 0–04 चार बिस्वा तो वादी के पिता श्री मगनीराम के नाम आया एवं आराजी नम्बर 1687 रकबा 0–04 चार बिस्वा सेटलमेंट वालों की भुल से भंवरलाल, मनोहरलाल पिता हीरालाल के नाम दर्ज हो गई। पुराने नक्शं एवं नये नक्शे के मिलान करने से यह स्पष्ट हो रहा है कि साबिक आराजी नम्बर 1866 के नये नम्बर 1684 एवं 1687 है। प्रमाण में दोनो नक्शा ट्रेश पेश है। वादी ने दिनांक 20/03/2015 को पटवारी हल्का बामनिया कला से आराजी नम्बर 1684 एवं 1687 की जमाबंदी निकलाई तो पता चला कि आराजी नम्बर 1687 रकबा 0–04 चार बिस्वा भंवालाल पिता हीरालाल एवं मधुसुदन, रिपुदमन पिता मनोहरलाल, ममता पत्नि स्वर्गीय मनोहरलाल के नाम दर्ज है। जो कि गलत दर्ज हो रखा है। उसे दुरूस्त कराने के लिये यह वाद पत्र पेश किया जा रहा है। आराजी नम्बर 1687 रकबा 0–04 चार बिस्वा पर वादी अपने पिता श्री मगनीराम जी के समय से ही काबिज होकर खा कमा रहा है। व उपयोग उपभोग कर रहा है एवं मौके पर आराजी नम्बर 1680 से लेकर 1688 तक एक ही खेत है। भंवरलाल पिता हीरालाल की मृत्यू हो चुकी है और उसके पीछे प्रतिवादी सं. 1 से 8 उसके वारीस होने से पक्षकार बनाये गये है। और प्रतिवादी सं. 9, 10, 11 स्वर्गीय मनोहरलाल जी के वारीसान है। प्रतिवादी सं. 12 को

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

भूमिधारक होने से पक्षकार बनाया गया है। वाद कारण दिनांक 20/03/2015 को जबकि वादी ने पटवारी से जमाबंदी की नकले प्राप्त की और उसमें आराजी नम्बर 1687 में वादी का नाम न होन से उत्पन्न होकर निरनतर जारी है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध डिक्री घोषणा इस आशय की प्रचलित फरमाई जावे कि वादी राजस्व ग्राम बामनिया कला स्थित आराजी सं. 1687 रकबा 0–04 बिस्वा का खातेदार कृषक है तथा इसी प्रकार की इन्द्राज दुरूस्ती राजस्व रेकार्ड में करवाने का आदेश फरमाया जावें। तथा प्रतिवादीगया सं. 1 से लगायत 8 के पिता का नाम रिकार्ड से हटाया जावें एवं प्रतिवादी सं. 9 से लगायत 11 का नाम भी राजस्व रेकार्ड से हटाया जाकर उक्त आराजी के खातेदार वादी के नाम दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे। इसी प्रकार यह स्थाई निषेधाज्ञा भी वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध जारी फरमाई जावें कि प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त की आराजी नम्बर 1687 रकबा 0–04 चार बिस्वा में कोई अतिक्रमण या हस्तक्षेप नहीं करे न वादी को काश्त करने व ले जाने से रोके न ऐसा कार्य उनके परिवार के सदस्य, एजेण्ट या नोकर से ही करवावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 04, 07, 10/1, 11 बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये तथा प्रतिवादीसंख्या 10/2, 10/3 की वादी द्वारा तलबी नही चाहने से तलबी बंद की गयी। तथा प्रतिवादी संख्या 01, 02, 03, 05, 06, 08, 09 ने स्वीकारात्मक जवाब प्रस्तुत किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 12 भूमिधारक होकर उसके विरूद्व कोई दाद नही चाही गयी है।

वादी ने वादपत्र के समर्थन में गवाह पीडब्ल्यू–01 औंकारलाल का शपथ पत्र प्रस्तुत किया तथा दस्तावेजी साक्ष्य महाराणा श्री एकलिंग जी उदयपुर का स्टाम्प की छाया प्रति प्रदर्श–01ए, नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–02, जमाबन्दी संवत् 2020–23 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–03, जमाबन्दी संवत् 2024–27 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–04 के प्रस्तुत किये गये। पत्रावली वास्तें बहस नियत थी कि राज्य सरकार द्वारा राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार–2018 के तहत ग्राम पंचायत बामनिया कला मे आयोजित शिविर में पत्रावली को रखा गया। दौरान शिविर वादी उपस्थित।

वादी को सुना गया एवं पत्रावली एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया तो जाहिर आया कि पत्रावली में उपलब्ध महाराणा श्री एकलिंग जी उदयपुर का स्टाम्प की छाया प्रति प्रदर्श–01ए, नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–02, जमाबन्दी संवत् 2020–23 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–03, जमाबन्दी संवत् 2024–27 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–04 के अनुसार वादग्रस्त भूमि वादी के पिता के नाम अंकित होकर वक्त सेटलमेन्ट त्रुटि एवं सहवन से प्रतिवादीगण संख्या 01 से लगायत 11 के पूर्वाधिकारियों

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

के नाम अंकित हो गयी है। ऐसी स्थिति में वादी अपने वाद को दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध करने में सफल रहा है।

अतः वादी का वाद आंशिक रूप से घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती का स्वीकार किया जाकर ग्राम बामनिया कला के आराजी संख्या 1687 रकबा 00–04 बीघा भूमि का वादी को खातेदार, काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 से 11 का नाम विलोपित किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावे। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 14/05/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर कैम्प बामनिया कला पर सुनाया गया।

(शक्तिसिंह भाटी)
सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

मूल वाद मे डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी :– शक्ति सिंह भाटी आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या :– 126 / 2015

अनवान

वादी पक्ष :–

1. ओकरलाल पिता मगनीराम सुखववाल (ब्राहम्ण) निवासी बामनिया कला, तह0 रेलमगरा

बनाम

प्रतिवादीपक्ष :–

1. कैलाशचन्द्र पिता भंवर लाल सुखववाल (ब्राहम्ण) निवासी 32 बी एकलिंग कॉलोनी, हिरण मगनी सेक्टर नम्बर 3 उदयपुर
2. जोगेश्वर प्रसाद पिता स्वर्गीय भंवरलाल सुखववाल (ब्राहम्ण) निवासी 16 विवेक पार्क के पीछे हिरण मगरी सेक्टर नम्बर 3 उदयपुर
3. श्याम नारायण पिता स्व. भंवरलाल सुखववाल पाड्या (ब्राहम्ण) निवासी मकान नम्बर 18 जगन्नाथ मन्दिर के पीछे चांदपोल, उदयपुर
4. दुर्गा बाई पुत्री भंवरलाल पत्नि भंवरलाल चांदनिया जोशी निवासी ए302, रघु 4 हीना वाला अपार्टमेंट सरदारपुरा उदयपुर
5. शोभाग कंवर पुत्री भंवरलाल पत्नि रामनारायण जोशी, निवासी 24 सीताफल की गली, ईलजी का नीम, गणेश घाटी उदयपुर
6. सूर्यकान्ता पुत्री भंवरलाल पत्नि रामचन्द्र सुखववाल (ब्राहम्ण) निवासी 41 एकलिंग कॉलोनी, हिरण मगनी सेक्टर नम्बर 3 उदयपुर
7. कमला पुत्री भंवरलाल सुखववाल (ब्राहम्ण), द्वारा श्री रामचरण श्रुंगी गुरू दयाल कॉलोनी, गोयल किराणा के पास बूंदी
8. शान्ता देवी पुत्री भंवरलाल पत्नि कन्हैयालाल सुखववाल (ब्राहम्ण), सेवानिवत् पटवारी साहब निवासी सहाडा वाया गंगापुर जिला भीलवाड़ा
9. मधुसुदर पिता स्व. मनोहरलाल पाण्ड्या पेंशनर अभियनता पीडब्ल्यू डी चेतक सर्कल के पास मधुवन, मकान नम्बर 19 बी, रेजिडेन्सी रोड उदयपुर
10. रिपुदमन पिता स्व. मनोहरलाल पण्ड्या (अभियन्ता पीडब्ल्युडी), निवासी चेतक सर्कल के पास मधुवन, मकान नम्बर 18 सी, रजिडेन्सी रोड उदयपुर जिला **(फौत)**

10/1. रितेश पिता रिपुदमन पण्ड्या (अभियन्ता पीडब्ल्युडी), निवासी चेतक सर्कल के पास मधुवन, मकान नम्बर 18 सी, रजिडेन्सी रोड उदयपुर

10/2. सुमन पत्नि स्व. रिपुदमन पाण्ड्या (अभियन्ता पीडब्ल्युडी), निवासी चेतक सर्कल के पास मधुवन, मकान नम्बर 18 सी, रजिडेन्सी रोड उदयपुर

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

10/3. स्मिता पिता स्व. रिपुदमन पण्ड्या (अभियन्ता पीडब्ल्युडी), निवासी चेतक सर्कल के पास मधुवन, मकान नम्बर 18 सी, रजिडेन्सी रोड उदयपुर

11. ममता उर्फ गणेश बाई पत्नि स्व. मनोहरला पाण्ड्या पेंशनर अभियनता पीडब्ल्यू डी चेतक सर्कल के पास मधुवन, मकान नम्बर 18 बी, रेजिडेन्सी रोड उदयपुर

12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय, रेलमगरा जिला राजसमन्द

दावा :— घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एव निषेधाज्ञा
वादी की ओर से :—एम0के0ओस्तवाल
प्रतिवादी की ओर से :— लाल सिंह राठौड

मैं इस आशय मे दिनांक 14/05/2018 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिकी दी जाती है कि वादी का वाद आंशिक रूप से घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती का स्वीकार किया जाकर ग्राम बामनिया कला के आराजी संख्या 1687 रकबा 00—04 बीघा भूमि का वादी को खातेदार, काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 से 11 का नाम विलोपित किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

आज दिनांक 14/05/2018 को मेरे हस्ताक्षर एवम मोहर से जारी की गई।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी * रेलमगरा *

(शक्तिसिंह भाटी)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा